नरेगा अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
अनुभाग 3

कमांक : एफ 4(5) आरडी / मा.द. / 2009–10 जयपुर, दिनांक 7/10/09

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त राजस्थान।

महोदय,

यह देखने में आया है कि नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई ग्रेवल सड़कों में अर्थवर्क एवं ग्रेवल की मोटाई कार्य के स्वीकृत तकमीने एवं माप पुस्तिका में अंकन से मौके पर कम है। साथ ही तकमीने की विशिष्टियों अनुसार उचित कुटाई (proper compaction as per specifications) भी नहीं की गई है।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि जिले के समस्त तकनीकी विभागों के सहायक अभियन्ता एवं उससे उच्च स्तर के अभियन्ताओं की पंचायत समिति वार टीम बनाकर उन्हें वाहन उपलब्ध करवाकर सात दिवस में प्रत्येक ग्रेवल सड़क की 100–100 मीटर दूरी पर माप पुस्तिका की तुलना में मौके पर चौड़ाई व गहराई का मिलान करें एवं सड़क की मौके के अनुसार लम्बाई तथा माप पुस्तिका में इन्द्राज लम्बाई का भी मिलान करें। यह भी जांच की जाए कि क्या इसी सड़क पर पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत कार्य तो नहीं करवाया गया है। यदि कराया गया है तो पूर्व में किये गये व्यय के पेटे कराये गये कार्य को वर्तमान तकमीने मे पुनः तो शामिल नहीं किया गया है (multiple booking तो नहीं है)। मौके पर एवं माप पुस्तिका में इन्द्राज में यदि कमी पाई जाती है तो पूरे कार्य की एवरेज माप पुस्तिका अंकन अनुसार अन्तर राशि को सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसी से वसूला जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावे एवं साथ ही सम्बन्धित अभियन्ता जिसने माप पुस्तिका में गलत अंकन किए थे उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करवाकर जिले की समेकित रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2010 तक इस कार्यालय को भिजवाई जावे। जांच रिपोर्ट पर टीम के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य रुप से हो।

आदेशों की सख्ती से पालना की जावे।

भवदीय

(आर. के. मीणा)
प्रमुख शासन सचिव